

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3- 05 / 2013 / 32
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/3 / 2016

- | | |
|--|--|
| 1. कलेक्टर,
जिला-शिवपुरी | 2. उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला कार्यालय गुना । |
| 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत शिवपुरी | 4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर पालिका परिषद शिवपुरी |

विषय :—शिवपुरी विकास योजना 2001 में उपांतरण बाबत् ।

राज्य शासन ने शिवपुरी विकास योजना 2001 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चर्चा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :— यथोपरि

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	१८४३
दिनांक	२६/०३/१६
आयुक्त	Dr.(N) T.C. २१/३
आयुक्त	आयुक्त

Seal No. ५५५५५
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
१८/०३/१६

पृ०क०—एफ 3-05 / 2013 / 32
प्रतिलिपि :—

भोपाल दिनांक 22/3 / 2016

१. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।
२. आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल भोपाल की और अग्रेषित कर अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना की कतरने उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

Seal No. ५५५५५
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
१८/०३/१६

ADM(A)

वेबसाईट पर इंगारान ले ले
श्रीमद्

०२/०४/१६

०२/०४/१६

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 22/3/2016

क्रमांक—एफ—3—05/2013/32 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक—1 सन् 2012), की धारा 23—क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट शिवपुरी विकास योजना 2001 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू—उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू—उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	ग्राम—नोहरीखुद	496	5.000 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय शर्तः— 1. प्रश्नाधीन भूमि तक के क्षेत्र का परिमाण प्रस्ताव उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना द्वारा निर्धारित किया जावे, तथा तदानुसार पहुँच मार्ग का निर्माण गृह निर्माण मंडल द्वारा किया जावेगा।

					2. भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है। अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
		योग—	5.000 हेठो		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सी के साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

10/3/2016

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 24-03-2016

No. F-05/2013/32 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2012 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Shivpuri Development Plan 2001 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE


No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the developme nt plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram Nohari khurd	496	5.0 hec.	Agriculture	<p>Residential</p> <p><u>Conditions :-</u></p> <p>1. Deputy Director, Town & Country Planning dist. office Guna will set the circulation proposals for the area upto the land in question and accordingly the M.P. Housing and infrastructure developement board will construct the approch road.</p> <p>2. The land has been allotted for Atal Ashraya Scheme, so the use other than the purpose for which it has been allotted shall be prohibited.</p>
		Total	5.0 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Guna as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,


(C.K. Sadhaw)
Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Environment Department


17/3/2016